

VERSUS

Ramesh Kumar S/o Bhanwar Lal aged 58 years, R/o Begamganj, Raisen

.....Non Revisionists

5

Revision u/s 50 of the Land Revenue Code-1959

The Revisionists Respectfully Showeth :

MAIN POINT NO. 1

 (1) Cause of action of the revision pollowed by the order dated 1 T0 AZ-3 07.05.2015 as AZ Series & RD on 12.12.2015 of the Hon'ble

High Court in WP No. 18168/14 allowing withdrawal with liberty

to challenge impugned order dated 07.01.2013 in revision preceded by the following orders A, B, C, D hence this instant revision u/s 50 of LRC 1959.

- (A) Impugned Order/Judgement dated 23.06.201(in the case No. 4/Appeal/2008-09.
- (B) Passed by the authority Shri Urmil Mishra, Upper Aayukt (Commissioner) Bhopal Division, Bhopal. Dated 07.032013 & RD on 03.02.2014 (Annex. No. B 1A).
- (C) Order of dismissal passed by Board of revenue dated 24.04.2014 in Appeal No. 1225/PBR-14 leading to filing W.P. No. 18168/14 u/article 227 constitution of India where in this revision has been directed to file before this Hon'ble Board.
- (D) Against the appellants who were aggrieved by the earlier order dated 22.07.2008 of the Court of Sub Divisional Officer (Anuvibhagiya Aadhikary) Revenue Begamganj in the appeal No. 5/Appeal/A-6/A/6A/2007-08 (Annex. No.

*-A).

GH ł 1.6 ADVOCATE

H.C./S.C. PRACTITIONER M.-9303132084

Conve

MAIN POINT NO. 2

19.00

The Revisionists having been arrgieved by the impugned order mentioned UTSUPRA IN Point - 1 (A & B) hat? preferred the review application on the following grounds but was arbitrarily un appreciably NOW ON DIRECTION OF HON'BLE HG. & callously rejected. Hence preferred this revision on the same point.

E-DIA A ROPER AND A DISCOUTS SHO

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

जिला	र	2	स	न
10161				

थान तथा दिनांक	निगरानी 702-पीबीआर / 16 कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अमिभाष आदि के हस्ताक्षर
2-9-2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता व समय सीमा के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7–1–13 के विरुद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 3–2–2016 को लगभग 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । तर्क के दौरान आवेदक की ओर से बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7–5–15 के परिप्रेक्ष्य में इस निगरानी में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिये । माननीय एच्च न्यायालय द्वारा आवेदकगण के अनुरोध पर ही निगरानी प्रस्तुत किये जाने की Liberty के साथ रिट याचिका वापिस की गई है । इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7–5–15 के पश्चात भी इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 3–2–16 को 9 माह से भी अधिक बिलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अतः बिलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह	
afr	गइ है । अतः ।वलमब को कारण समावानप्रारय नवा लगा स निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य मानकर अगाहय की जाती है । अध्यक्ष टेन्-	